

मजिस्ट्रेट कारागार प्रशासक
सहायक कलक्टर, सागर लेख

18/02/2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आदेश क्रमांक
17/10/19 एवं तदुपरोक्त आदेश दि. 04/01/2021
के परन्तुषाह की आदेशों तक शेष प्रतिवकीलता
की तलबी जलिये रजि. स.डी. से मिले जाने हेतु
तलबनाम पेश नकीं हुआ है, न ही कापीज की
ओर से स्वयं या जलिये वकील जलिये कोई
जानर नकीं आये है, न ही तलबी हेतु आदेश

कमला



संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		<p>की पालना पेश नहीं हुई है, जोकि न्यायालय आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। साथ मूल फाद 9R3 व 9R5 CPC के तहत खारिज होने से अब पत्रावली में कार्यवाही का औचित्य नहीं है। न्यायालय में प्रत्येक प्रत्येक समय पर तीन-तीन बार आवेदन, लगभग अर्थात्, बकीया की ओर से 5:00 बजे तक छोड़ने नहीं आये हैं। अतः पत्रावली का पत्र बावत अध्यायी विवेचना अदम्य, टापरि, अदम्य करती एवं प्रतिवादी/अपवादी की तलबी अभाव में एतदुद्धारा खारिज की जाती है। विषय श्रुते न्यायालय में सुनवाई जाकर, लिखावा जाकर मेरी हस्ताक्षर व न्यायालय द्वारा ही जारी किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर साँभर लेक</p>	<p>ज्ञा या ही</p>